COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(169)

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक : 965-I/07

श्री के.के. त्रिवेदी अधि. द्वारा आज दि. 5-6-07 को प्रस्तुत।

अपर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

हरनाम सिंह पुत्र श्री मिश्रीलाल
निवासी - गुलाबगंज कैन्ट, जिला गुना
म0प्र0 ---- आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना

-- अनावेदक

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक अपील । 287-दो/05 में पारित आदेश दिनांक 21-02-06 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन ।

==========

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निवेदन निम्नानुसार है :-

1- यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कुछ ऐसी भूलें हैं जिनके कारण आदेश पुनर्विलोकन योग्य है ।

2- यह कि, आवेदकगण द्वारा उनके पुनरीक्षण ज्ञापन में उठाई गई समस्त आपत्तियों पर विचार एवं विनिश्चयन नहीं किया गया है इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुनर्विलोकन योग्य है ।

5-6-07
K. K. Dwivedi
Advocate

3- यह कि, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में पुनरीक्षण ज्ञापन में उठाई गई आपत्तियों का न तो उल्लेख किया है और न ही विनिश्चयन । इस कारण माननीय न्यायालय का आदेश पुनर्विलोकन योग्य है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 965–एक/07 **जिला** गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–2–2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21–2–06 की सत्यप्रतिलिप का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक अपील 1287–दो/05 में पारित आदेश दिनांक 21–2–06 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । **(मनोज गोयल)** अध्यक्ष	